

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 मई, 2010

संख्या सीसीपी (एनसीआर)/एमडब्ल्यूटी-एमएलकेएचआर/सीए/2010/1776.—चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र, भवन गतिविधियों तथा अव्यस्थित विकास के लिए संभाव्य है ;

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्र को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची

गांव मालोखरा (हदबस्त संख्या 227) तहसील हथीन, जिला पलवल के नियंत्रित क्षेत्र के चारों ओर की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी० (एमटी) 2568/08, दिनांक 5 अगस्त, 2008 के साथ पढ़ा जाए।

गांव मालोखरा (हदबस्त संख्या 227), की आयत संख्या 1 से 26 तहसील हथीन, जिला पलवल की सारी राजस्व सम्पदा में पड़ने वाला क्षेत्र।

डी०एस० डेसी,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT****Notification**

The 18th May, 2010

No. CCP(NCR)/MWT-MLKHR/CA/2010/1776.—Whereas, in the opinion of the Government the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto has the potential for building activities and haphazard development;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:—

Schedule

Schedule of boundaries of controlled area around village Malokhra (Hadbast number 227) tahsil Hathin, district Palwal to be read with Drawing No. D.T.P. (MT) 2568/08, dated the 5th August, 2008.

The area of whole revenue estate of village Malokhra (Hadbast No. 227), having rectangle number 1 to 26 of tahsil Hathin, district Palwal.

D. S. DHESI,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.